ग्राम पंचायत पाण्डवी, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.14 से 31.03.17

भाग- एक

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत पाण्डवी, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान :-

क्र° सं°	नाम	अवधि
1	श्री ज्ञान चन्द धीमान	01.04.14 से 22.01.16
2	श्रीमति कंचन ठाकुर	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र° सं°	नाम	अवधि
1	श्री अशोक कुमार	01.04.14 से 11.02.16
2	श्री बलबीर चन्द	12.02.16 से 29.04.16
3	श्री अशोक कुमार	30.04.16 से 19.10.16
4	श्री प्रकाश चन्द	20.10.16 से 31.03.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत पाण्डवी, विकास खण्ड भोरंज के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ वही के अन्तशेष का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना	-
2	4.2	बैंक में जमा राशि का रोकड़ वही में रख रखाव न करना	-

3	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.14
4	6	अनुदान का उपयोग न करना	20.98
5	7	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किया बिना ही व्यय करना	1.37
6	8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक स्टोर का क्रय करना	2.44
7	9	विभिन्न निर्माण कार्यों में अनियमित व्यय	0.26
8	10	13वें वित्त आयोग से अनियमित/अधिक भुगतान	0.03

भाग- दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत पाण्डवी, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी व श्री नरेन्दर कुमार, आर्टिक्ल सहायक द्वारा दिनांक 18.08.17 से 22.08.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया I लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया I

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	06/2014	01/2015
2015-16	09/2015	01/2016
2016-17	01/2017	01/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत पाण्डवी, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं के अंकेक्षण का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 472(a) दिनांक 22.08.17 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत पांडवी से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा ड्राफ्ट संख्या 064279 (KCCB) दिनांक 07.09.17 के माध्यम से उक्त राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया।

4 वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत पाण्डवी, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

(1) स्व स्त्रौत :- ग्राम पंचायत पाण्डवी, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	160988	30291	191279	159965	31314
2015-16	31314	165277	196591	67641	128950
2016-17	128950	92248	221198	33734	187464

(2) अनुदान :- ग्राम पंचायत पाण्डवी, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	313996	1655590	1969586	1507996	461590
2015-16	461590	2499157	2960747	2161447	799300
2016-17	799300	3581384	4380684	2282687	2097997

स्व स्त्रौत :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹187464

अनुदान :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹2097997

कुल अन्तशेष ₹2285461

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में अन्तिम शेष : ₹2285679.49

दिनांक 31.03.17 को हस्तगत राशि : ₹482

Cheque No. 687947 Dated 08.02.17 ₹700 issued from VKVNY (KCCB-99962) but not presented for payment.

बैंक खाता संख्या	राशि
GEN-A, PNB -008876	186982
VKVNY, KCCB -99962	114675
GEN-B, KCCB -99973	83065
NBA/TSC, KCCB -23494	88824
3rd SFC, KCCB -23574	663
SDP, KCCB -23619	26392
13th & 14th FC, PNB -508312	1770425.49
IAY, KCCB-99939	2524
RAY, KCCB- 23529	12129
MNREGA, KCCB -67512	0
कुल राशि	**2285679.49**

4.1 रोकड़ वही के अन्तशेष का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना :-

ग्राम पंचायत पाण्डवी की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था । अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है । अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

4.2 बैंक में जमा ₹1.38 लाख का रोकड़ वही का रख रखाव न करना:-

जांच में पाया कि पंचायत में निम्नलिखित बैंक खाते (हरियाली) खोले गये थे जिनमें दिनांक 31.08.16 को **₹137415** जमा थे लेकिन इन खातों के रख-रखाब की रोकड़ वही अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे इन खातों से किए गए व्ययों की जांच नहीं की जा सकी । अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 472 दिनांक 22.08.17 द्वारा रोकड़ वही प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 30 दिनांक 23.08.17 द्वारा सूचित किया गया कि इन खातों का रख-रखाव रोकड़ वही में किया गया है, लेकिन अभी अधूरी हैं तथा शीघ्र पूर्ण करके प्रस्तुत कर दी जायेगी, लेकिन अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई । अतः इन खातों से संबन्धित रोकड़ वही एवं व्यय से संबन्धित अभिलेख आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत करने के साथ-2 बैंक खातों को भी पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें । खातों का विवरण निम्नलिखित है :-

खाता संख्या	दिनांक 31.08.16 को जमा राशि
KCCB- Bhoranj, 20025053716	628/-
KCCB- Bhoranj, 20025054630	137787/-

5 पंचायत राजस्व ₹0.14 लाख की वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि गृहकर एवं शादी पंजीकरण फीस के रूप में वसूली हेतु ₹13650 शेष थी, जिसकी वसूली करना सुनिश्चित करें एवं नियमानुसार गृहकर का रजिस्टर भी तैयार करना सुनिश्चित करें । निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.17 तक पंचायत के राजस्व ₹13650 की वसूली शेष थी ।

1. गृहकर :

वर्ष	अथशेष	गृहकर की मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	0	43250	43250	0	43250
2015-16	43250	44050	87300	72000	15300
2016-17	15300	44950	60250	47200	13050

2. शादी की पंजीकरण फीस के रूप में ₹600 की कम वसूली :-

सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकृत हेतु विवाह पंजीकरण फीस ₹200 (बी.पी.एल.परिवार ₹25) एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण फीस ₹400 (बी.पी.एल.परिवार ₹50) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है । जांच में पाया कि अवधि 01.11.16 से 31.03.17 तक ग्राम पंचायत में कुल 12 विवाह पंजीकरण हुए थे जिसके अन्तर्गत ₹600 पंजीकरण फीस के रूप में कम वसूल किए गए थे जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

अवधि	कुल पंजीकरण	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	कम वसूली गई राशि
01.11.16 से 31.03.17	12	1. APL,12 X 200 =2400	1800/-	600/-

6 अनुदान ₹20.98 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹2097997 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा । अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये ।

7 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किया बिना ही व्यय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था । जांच में पाया पंचायत द्वारा निर्माण कार्य " निर्माण कार्य पूर्ति पंचायत घर पाण्डवी" के निष्पादन पर सभा निधि से ₹137415 (वही खाता पृष्ठ-47) का व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जो कि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । इसके अतिरिक्त जांच में पाया कि इस कार्य के मूल्यांकन से संबन्धित माप पुस्तिका भी अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई । अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रौत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाये एवं मूल्यांकन से संबन्धित माप पुस्तिकाएँ भी आगामी अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ।

8 **औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹2.44 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹244360 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

9 **विभिन्न निर्माण कार्यों में ₹0.26 लाख का अनियमित व्यय :-**

1. **"नि. सम्पर्क मार्ग शमशान घाट, भगेटू "** माप पुस्तिका 5869 पृष्ठ 19-21 में उक्त निर्माण कार्य के परिमाप की प्रविष्टियों की जांच में पाया कि इस कार्य के लिए पत्थर की कुल 10 CUM घन मीटर मात्रा का प्रयोग किया गया था । जबकि भण्डार रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 35 से उक्त निर्माण कार्य हेतु 11.89 CUM घन मीटर पत्थर जारी किए गए थे । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्य में पत्थरों की अधिक मात्रा जारी करके दुरुपयोग किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा 1.89 CUM (66 .75 CFT) पत्थर @ ₹32 प्रति CFT की दर से कुल ₹2136 की वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें ।

2. **"नि. नाली व रास्ता नजदीक GPS मैड हैंड पम्प, वल्ह":** माप पुस्तिका 5869 पृष्ठ 14-15 में उक्त निर्माण कार्य के परिमाप की प्रविष्टियों की जांच में पाया कि इस कार्य के लिए पत्थर की कुल 4.18 CUMघन मीटर मात्रा का प्रयोग किया गया था । जबकि भण्डार रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 35 से उक्त निर्माण कार्य हेतु 5.66 CUM घन मीटर पत्थर जारी किए गए थे। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्य में पत्थरों की अधिक मात्रा जारी करके दुरुपयोग किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा 1.48 CUM घन मीटर (52.26 CFT) पत्थर @ ₹30 प्रति CFT की दर से कुल ₹1568 की वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें ।

3. **"नि. शौचालय पंचायत घर ":**

(i) माप पुस्तिका 5869 पृष्ठ 23-24 में उक्त निर्माण कार्य के परिमाप की प्रविष्टियों की जांच में पाया कि उक्त कार्य में कुल ₹48392 का व्यय निर्धारित किया गया था, जबकि वहीखाते के पृष्ठ -52 में की गई प्रविष्टियों की जांच में पाया कि उक्त कार्य में कुल ₹59572 का व्यय किया गया था । अर्थात उक्त कार्य में ₹11180 का भुगतान अनियमित रूप में अधिक कर दिया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा ₹11180 की वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें।

(ii) माप पुस्तिका 5869 पृष्ठ 23-24 में उक्त निर्माण कार्य के परिमाप की प्रविष्टियों की जांच में पाया कि इस कार्य के लिए स्टील 50 किलोग्राम, रेत

1.60 CUM एवं बजरी 3.044 CUM का प्रयोग किया गया था। जबकि भण्डार रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 29 से स्टील 65.50 किलोग्राम, पृष्ठ संख्या 31 से रेत 2.55 CUM एवं पृष्ठ संख्या 33 से बजरी 4.25 CUM मात्रा जारी की गई थी । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्य में निर्माण सामग्री की अधिक मात्रा जारी करके दुरुपयोग किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा 15.50 किलोग्राम स्टील @ ₹40 प्रति किलोग्राम की दर से कुल ₹620, 0.95 CUM (33.54 CFT) रेत @ ₹43 प्रति CFT की दर से कुल ₹1442 एवं 1.206 CUM (42.38 CFT) रेत @ ₹43 प्रति CFT की दर से कुल ₹1822 के रूप में कुल ₹3884 की वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें ।

4. "नि. आँगन व चारदिवारी पंचायत घर ":

माप पुस्तिका 5869 पृष्ठ 22-23 में उक्त निर्माण कार्य के परिमाप की प्रविष्टियों की जांच में पाया कि उक्त कार्य में कुल ₹67414 का व्यय निर्धारित किया गया था, जबकि वहीखाते के पृष्ठ -54 में की गई प्रविष्टियों की जांच में पाया कि उक्त कार्य में कुल ₹74580 का व्यय किया गया था । अर्थात उक्त कार्य में ₹7166 का भुगतान अनियमित रूप में अधिक कर दिया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा ₹7166 की वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें ।

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 472 दिनांक 22.08.17 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 30 दिनांक 23.08.17 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त वसूलियों की जांच उपरान्त बाद में अवगत करवाया जायेगा । अतः की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

10 ₹2970 का अनियमित/अधिक भुगतान :-

(i) वाउचर संख्या 25 दिनांक 05.11.14 (13th FC) की जांच में पाया कि मैसर्ज राजेन्द्र सिंह राणा से बिल संख्या 25 दिनांक 05.10.14 द्वारा निर्माण सामग्री का क्रय दिनांक 20.06.14 को मैसर्ज ट्रिपल फ्रेंड की अनुमोदित दरों से अधिक दरों पर किया गया था, जिसके फलस्वरूप ₹2520 का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

बिल का विवरण	क्रय सामग्री का विवरण	दिनांक 20.06.14 को अनुमोदित दरें	अधिक भुगतान
Vr. No. 25 Dated 05.11.14 (13th FC), Bill No. – Dated 05.10.14 M/s Rajendra Singh Dogra ₹	Sand 120 cft @ ₹38/- = 4560 Aggregate 240 cft @ ₹38/- = 9120 Boulder 180 cft @ ₹30 =5400	Sand @ ₹37/- per cft Aggregate @ ₹37/- per cft Boulder @ ₹18/- per cft	120/- 240/- 2160/-

अतः उक्त सामग्री के क्रय में किए गए अधिक भुगतान ₹ 2520/- बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें ।

(ii) वाउचर संख्या 16 दिनांक 22.08.15 (13th FC) की जांच में पाया कि मैसर्ज नीलम फ़र्निचर इंडस्ट्री से बिल संख्या 622 दिनांक 18.08.15 द्वारा ₹49350 में फ़र्निचर का क्रय किया गया था जबकि भुगतान चैक संख्या 124228

दिनांक 22.08.15 द्वारा ₹49800 का कर दिया गया था, अर्थात उक्त क्रय में ₹450(49800-49350) का अनियमित रूप में अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें ।

11 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/ अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना ।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना ।
5. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना ।

12 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

13 लघु आपति विवरणिका :-इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

14 निष्कर्ष :-लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6) 33/2017 खण्ड–1–844–847 दिनांक03.02.2018
शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भोरन्ज, जिला हमीरपुर हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत पाण्डवी विकास खण्ड भोरन्ज, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046